बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

कार्यालय : होशंगाबाद रोड, भोपाल

क्रमांक 227 / परीक्षा / 2018,

भोपाल , दिनांक 03.05.2018

अधिसूचना

(स्नातकोत्तर द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2017–18 के परीक्षा आवेदन पत्रों की तिथियां)

संबंधितों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा सत्र 2017–18 हेतु द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर स्नातकोत्तर यथाः– एम.ए / एम.काम / एम.एस.सी. / एम.एस.सी. होमसांइस ऑन लाईन के माध्यम से नियमित / स्वाध्यायी / एटीकेटी प्राप्त छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने की निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती हैं, यथा :–

01	सामान्य शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने की तिथि	–	04 / 05 / 2018 से 10 / 05 / 2018 तक
02	महाविद्यालय द्वारा वि.वि में जमा करने की तिथि	–	11 / 05 / 2018
03	विलम्ब शुल्क रू. 300 / – के साथ परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि	–	11 / 05 / 2018 से 15 / 05 / 2018
04	महाविद्यालय द्वारा वि.वि में जमा करने की तिथि	–	16 / 05 / 2018
05	विशेष विलंब शुल्क रूपये 1000 / –	–	17 / 05 / 2018 से से परीक्षा प्रांरभ होने के 03 दिवस पूर्व तक।

विशेष नोट :–प्राचार्य, संबंधित सम्बद्ध महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर के ऐसे छात्र / छात्राएं जो कि सामान्य पाठ्यक्रम में निर्धारित समयावधि 03 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं म.प्र.शासन उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 1869 / 100 / सीसी / 17 / 36 दिनांक 09.10.2017 के अनुक्रम में वि.वि. द्वारा अधिसूचित अधिसूचना क्रमांक 3464 / अकादमी / पाठ / अ–1 / 17 दिनांक 17.10.2017 (संलग्न) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

परीक्षा आवेदन जमा करने संबंधी निर्देश :–

ऑनलाईन प्रक्रिया :–विश्वविद्यालय की वेबसाइट (**WWW.bubhopal.ac.in**) पर **online services** पर क्लिक कर महाविद्यालय को पूर्व से प्रदाय किए गए कॉलेज लॉगिन में जाकर फार्म भर सकेंगे। असुविधा होने की स्थिति में महाविद्यालय प्राचार्य विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा / आई.टी.सेल से संपर्क कर समस्या का निवारण कर सकेंगे। महाविद्यालय, परीक्षार्थी की पूर्व की समस्त अंकसूची की छायाप्रति परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

नोट :–

01. ऐसे परीक्षार्थी जो प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा अनुत्तीर्ण होंगें उनके परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त किये जायेंगे।
02. आयुक्त उच्च शिक्षा के आदेश क्र.221 / 83 / आउशि / शाखा 53 / 2014 दिनांक 25 / 04 / 2014 के परिपालन में कंडिका 26.1 में अंकित विषय समूह से संबंधित निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर ही परीक्षा फार्म अग्रेषित करें।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा के आदेश क्र.221 / 83 / आउशि / शाखा–53 / 2014 दिनाक 25 / 04 / 2014 के परिपालन में कंडिका 8.41 में अंकित विशेष परीक्षार्थी : राष्ट्र स्तरीय खेल कार्यक्रमों में प्रतियोगिता के कारण विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में पूर्णतः अथवा आंशिक अनुपस्थित विद्यार्थियों को आगामी सत्र में आयोजित सेमेस्टर परीक्षाओं मे (संबंधित सम / विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ) एटीकेटी विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

निरंतर...(2)

शुल्क विवरण:-

01. स्वाध्यायी परीक्षार्थी (समस्त विषय हेतु) स्नातकोत्तर को देय शुल्क एवं	- 1480+100=1580/-
02. नियमित परीक्षार्थी (समस्त विषय हेतु)	- 1100+100=1200/-
03. पूर्व छात्र (समस्त विषय हेतु) नियमित	- 1100+100=1200/-
04. पूर्व छात्र (समस्त विषय हेतु) स्वाध्यायी	- 1480+100=1580/-
05. समस्त विदेशी छात्र को देय शुल्क	- 2620+100=2720/-
06. एक विषय हेतु परीक्षा शुल्क	- 660+100=760/-
07. दो विषय हेतु परीक्षा शुल्क	- 825+100=925/-

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

पृ. क्रमांक 228 परीक्षा/2018
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03.05.2018

1- समस्त प्राचार्य सम्बद्ध महाविद्यालयों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया जारी अधिसूचना को शिक्षण विभाग के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने की व्यवस्था करें।
2- उप-कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3- सहायक कुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा/भण्डार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4- अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5- कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपतिजी को सूचनार्थ।
6- वित्त नियंत्रक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7- जनसम्पर्क अधिकारी/कन्ट्रोल रूम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8- संचालक, एम.पी.ऑनलाईन म.प्र. की ओर उचित व्यवस्था एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया सुनिश्चित करें कि एम.पी. ऑनलाईन की हेल्पलाईन नं 4019401,4019408 तथा 4019414 पर कोई भी छात्र जानकारी चाहे तो उसे समय सीमा में उपलब्ध करावें।
9- प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइड की ओर सूचनार्थ।
10- संपादक, दैनिक समाचार पत्रों की ओर उनके लोकप्रिय समाचार पत्र में छात्रहित में प्रकाशित किये जाने हेतु निवेदन के साथ प्रेषित।

उपकुलसचिव (परीक्षा)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1564/198/सीसी/17/38
प्रति

भोपाल, दिनांक [illegible]/10/17

कुलसचिव,
समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय:- स्नातक व स्नातकोत्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में क्रमशः 5 व 4 वर्ष की अवधि की अधिकतम समयावधि निर्धारण विषयक।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुमोदन के पश्चात निम्नानुसार [illegible]

1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों की अधिकतम समयावधि 5 व 4 वर्ष रखी जाए।

2. यदि कोई विद्यार्थी किसी भी कारणवश उक्त अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाता है तो कुलपति महोदय की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर उस विद्यार्थी को 1 वर्ष का एक्सटेंशन दिया जावेगा जिसमें उसको अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

3. यदि कोई विद्यार्थी पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि (स्नातक 05 एवं स्नातकोत्तर 04 वर्ष) एवं 1 वर्ष एक्सटेंशन का उपयोग करने के बाद भी पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसको शेष पाठ्यक्रम स्वाध्यायी छात्र के रूप में पंजीकृत होकर उत्तीर्ण करना होगा। ऐसे विद्यार्थियों पर पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि एवं उपस्थिति का बंधन बाध्यकारी नहीं होगा।

4. ऐसे स्वाध्यायी विद्यार्थी को उसके द्वारा पूर्व में उत्तीर्ण किये गये प्रश्न पत्र के अंकों/क्रेडिट का लाभ मिलेगा परन्तु उसका परीक्षा परिणाम प्रावीण्य सूची के लिए मान्य नहीं होगा।

5. इस प्रकार निर्धारित अवधि के उपरान्त स्वाध्यायी रूप में परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को जिस वर्ष परीक्षा में भाग लेना है उसी वर्ष का पाठ्यक्रम (यदि पूर्व के पाठ्यक्रम में संशोधन आदि हुआ है तो) एवं उसी वर्ष के प्रचलित अन्य सभी पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश प्रावधानों का पालन करते हुए उसी के अनुसार परीक्षा दी जानी होगी। विश्वविद्यालय पूर्व के मापदण्डों में इस प्रकार के स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए पृथक से कोई प्रावधान करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

6. उपरोक्त नियम मात्र सामान्य पाठ्यक्रमों पर मान्य होंगे तथा विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होंगे।

कृपया शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें/अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. अजय प्रकाश खरे)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
भोपाल, दिनांक 9/10/17

पृ. क्रमांक 1565/198/सीसी/17/38
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. आईटी सेल प्रभारी, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा सतपुड़ा, भोपाल की ओर कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 3463/अकादमी/पाठ/अ-1/17

भोपाल, दिनांक : 17.10.17

अधिसूचना

सर्व संबंधित शासन के उपरोक्त आदेश के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार
कुलसचिव

पृ.क्रमांक 3464 /अकादमी/पाठ/अ-1/17
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक : 17.10.17

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल को इस आशय से सूचनार्थ कि उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया।
2. समस्त संबद्धता प्राप्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को अनुरोध के साथ की उक्त अधिसूचना से विद्यार्थियों को अवगत कराते हुए तदनुसार की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
3. अधिष्ठाता/अध्यक्ष/सदस्य अध्ययन मंडलों की ओर सूचनार्थ।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा/अंकतालिका बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. [illegible] कार्यालय बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. वेबसाइट प्रभारी की ओर सूचनार्थ कि उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/सहायक के माध्यम से कुलपतिजी/कुलसचिवजी की ओर सूचनार्थ
9. संबंधित नस्ती।

उप-कुलसचिव, अकादमी